

प्रेस विज्ञप्ति
थाना जीयनपुर

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 02.10.2021 को वादिनी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करना, गाली गलौज, मारपीट व दहेज के लिए प्रताड़ित करना व पति के दोस्त सनोज के साथ सम्बन्ध बनवाना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/2021 धारा 498A/323/504/506/376ख भादवि व ¾ डीपी एक्ट बनाम सनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम समुन्दपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत है।

आज दिनांक 03/10/2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर के कुशल नेतृत्व में उ.नि. रामगोपाल त्यागी द्वारा मुखबीर खास की सूचना के अधार पर मु0अ0सं0 283/2021 धारा 498A/323/504/506/376ख भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम समुन्दपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को बेरमा पुल के पास से समय 10.20 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 283/2021 धारा 498A/323/504/506/376ख भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना जीयनपुर आमजगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सनोज पुत्र रमेश निवासी ग्राम समुन्दपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ.नि. रामगोपाल त्यागी थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का0 निलेश प्रताप सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
3. का0 रमायण प्रसाद गौतम थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।

थाना- तहबरपुर

शादी का झासा देकर दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ को अपराध मुक्त किये जाने के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान वांछित / वारण्टी की गिरफ्तारी व बरामदगी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ सिद्धार्थ के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के नेतृत्व में आज दिनांक 03.10.2021 को प्र0नि0 अनुराग कुमार मय हमराह के तलाश वांछित अभियुक्त करते हुए मु0अ0सं0 75/21 धारा 376 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त चन्द्रजीत उर्फ चंजीत पुत्र स्व0 शंकर राम निवासी ईसरपार खास, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 75/21 धारा 376 भादवि थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

चन्द्रजीत उर्फ चंजीत पुत्र स्व0 शंकर राम निवासी ईसरपार खास, थाना तहबरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. SHO अनुराग कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
2. का0 जितेन्द्र कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
3. का0 गौरव कुमार थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

थाना सिधारी

01 वांछित चोर गिरफ्तार

दिनांक 24.09.2021 को प्रार्थिनी बासमती देवी पत्नी हरिलाल सोनकर निवासी ग्राम मुण्डा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के 05 सुअरों के चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थिनी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 236/2021 धारा 379 भादवि बनाम सोनू सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर साकिन बलरामपुर थाना कोतवाला जनपद आजमगढ़ आदि 04 नफर पंजीकृत किया गया था।

प्रभारी निरीक्षक **जितेन्द्र कुमार सिंह के निर्देश पर** उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय राह का0 इन्द्रेश सिंह यादव थाना स्थानीय से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र शान्ति व्यवस्था में हरवंशपुर तिराहे पर मु0अ0सं0 236/21 धारा 379 भादवि का नामजद अभियुक्तगण सोनू सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर साकिन बलरामपुर थाना कोतवाला जनपद आजमगढ़ आदि के गिरफ्तारी व तलाश हेतु मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 236/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर साकिन बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ नरौली तिराहे पर खड़ा है कहीं जाने की फिराक में है मुखबिर खास की बात पर विश्वास करके उ0नि0 मय राह फोर्स व मुखबिर के अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु बताये हुए स्थान पर पहुंचे तो नरौली तिराहा पर मुखबिर एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए हट बढ़ गया, मुखबिर द्वारा बताये हुए व्यक्ति की ओर जब पुलिस टीम पहुंची तो अचानक पुलिस को देखकर व हड़बड़ाते हुए तेज कदमों के भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू उपरोक्त बता रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0अ0सं0 236/2021 धारा 379 भादवि, थाना-सिधारी, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

सोनू सोनकर पुत्र छोटेलाल सोनकर साकिन बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह थाना-सिधारी, आजमगढ़
2. का0 इन्द्रेश सिंह यादव थाना-सिधारी, आजमगढ़

थाना सिधारी

दो वारण्टी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियो की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर** के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक **जितेन्द्र कुमार सिंह के निर्देश पर** उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 सत्येन्द्र नारायण सिंह व कोबरा 13 के कर्मचारीगण हे0का0 राकेश मिश्रा व का0 मो0 सज्जाद के द्वारा वारण्टी धर्मेन्द्र यादव उर्फ पुल्लू यादव पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी सर्फद्वीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़ व रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु0नं0 700/13 राज्य बनाम धर्मेन्द्र यादव धारा 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना सिधारी न्यायालय सीजेएम आजमगढ़ तारीखी पेशी 06.10.21
2. मु0नं0 48/08 धारा 3(1) गैगैस्टर चालानी थाना कोतवाली आजमगढ़ बनाम रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी नरौली थाना सिधारी आजमगढ़ तारीख पेशी 27.10.2021 माननीय न्यायालय गैगैस्टर एक्ट आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धर्मेन्द्र यादव उर्फ पुल्लू यादव पुत्र स्व0 शिवपूजन निवासी सर्फद्वीनपुर थाना सिधारी आजमगढ़
2. रूपेश सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी नरौली थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सत्येन्द्र नारायण सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. हे0का0 राकेश मिश्रा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
4. का0 मो0 सज्जाद थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

थाना तरवां

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे जनपद मे सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज** के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक **स्वतन्त्र कुमार सिंह के निर्देश पर** उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह मय हमराह के द्वारा मुकदमा नं0 1405/21 धारा 419/420 भादवि

विरुद्ध बनाम संतोष गुप्ता तारिख पेशी 18.10.2021 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ़ से सम्बन्धित वारण्टी विनोद पुत्र शंकर गुप्ता सा0 कम्हरिया थाना तरवां आजमगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मुकदमा नं0 1405/21 धारा 419/420 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद पुत्र शंकर गुप्ता पता सा0 कम्हरिया थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1 उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह.
2. उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय
3. का0 अजीत पटेल
4. रि0का0 मनोज कुमार
5. म0का0 रागनी सिंह

थाना जीयनपुर

02 नफर वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 07.07.2021 को श्री श्याम कुमार पुत्र भूसी नि0ग्राम हरैया (नान्हूपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि अभियुक्तागण द्वारा मुझे मारा पिटा गया जिससे मुझे काफी चोटे आयी है। इस सूचना पर अभियुक्तागण 1. सोनमति पत्नी जितेन्द्र 2. आरती पत्नी रामवृक्ष निवासीगण ग्राम हरैया (नान्हूपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0 179/21 धारा 323/324 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचन प्रचलित हुए दौरान विवेचना मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 325,326,504 भादवि की बढोत्तरी की गयी विवेचना के क्रम मे -

आज दिनांक 03.10.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक अपराध दिनेश कुमार यादव के कुशल नेतृत्व मे उ.नि. श्याम सिंह मय हमराह द्वारा मुखबीर खास के सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 179/21 धारा 323,324,325,326,504 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तागण 1. सोनमति पत्नी जितेन्द्र 2. आरती पत्नी रामवृक्ष निवासीगण ग्राम हरैया (नान्हूपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को हरैया नान्हूपार से समय 10.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 179/21 धारा 323,324,325,326,504भादवि थाना जीयनपुर ,आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. सोनमति पत्नी जितेन्द्र ग्राम हरैया (नान्हूपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. आरती पत्नी रामवृक्ष निवासी ग्राम हरैया (नान्हूपुर) थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

- 1.उ.नि. श्याम सिंह थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़।
2. का0 शुभम यादव थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
3. का0 अजय पाठक थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
4. म.का. साधना तोमर थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
5. म.का. प्रगति अवस्थी थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।

थाना सिधारी

टोंस नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने जा रही महिला को बचाया गया

आज दिनांक 03.10.2021 को समय करीब 12.30 बजे एक महिला जिसका नाम लालता देवी पत्नी रामधारी हरिजन निवासी ग्राम गंभीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ थाना सिधारी अन्तर्गत स्थित टोंस नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया जा रहा था जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक सिधारी को सूचना प्राप्त हुई इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी द्वारा तत्परता व शीघ्रता करते हुए नयापुल पिकेट पर तैनात कर्मचारीगण को सूचित करते हुए मौके पर पहुंचा गया जहां पर देखा कि एक महिला जो बार बार टोंस नदी में कूदने का प्रयास कर रही थी पीआरवी में लगे कर्मचारीगण व नयापुल पर तैनात कर्मचारी/महिला आरक्षी के सहयोग व थाना प्रभारी सिधारी के द्वारा उक्त महिला को जो आत्महत्या का प्रयास कर रही थी उसको बचा लिया गया। महिला का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम लालता देवी पत्नी रामधारी हरिजन निवासी ग्राम गंभीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ बताया। महिला के पति रामधारी हरिजन पुत्र पुनवासी निवासी गंभीरवन थाना जहानागंज आजमगढ़ को जरिये दूरभाष व आरटी सेट थाना जहानागंज को सूचना देकर उसके परिजनों को आने हेतु बुलाया गया। इस सूचना पर लालता देवी के पति रामधारी निवासी उपरोक्त उपस्थित थाना आये और बताये कि मेरी पत्नी लालता देवी उम्र करीब 56 वर्ष इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है हम लोग इसका काफी इलाज कराये परन्तु ठीक नहीं हो रही है आज दिनांक 03.10.2021 को प्रातः करीब 07 बजे बिना किसी को बताये घर से कहीं चली गयी जिसका हम लोग काफी तलाश किया परन्तु नहीं मिली। सूचना मिलने पर थाना सिधारी आकर अपनी पत्नी को साथ में लेकर जा रहा हूँ भविष्य में मैं अपनी पत्नी का ईलाज व देखभाल सही ढंग से करेगा।

सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी का नाम

1. प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2. हे0का0 रणजीत सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
3. म0का0 पूनम मौर्य
4. म0का0 बन्दना शुक्ला

थाना कोतवाली

धर्मांतरण कराने वाले दो अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 3.10.21 को वादी सुधीर गुप्ता s/o स्व0 श्रीकृष्ण प्रसाद गुप्त मु0 जोधी का पूरा थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 318/21 धारा 298.504.506 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश बनाम 1. नन्दू नथानियल सिंह आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण, अपराधियों की गिरफ्तारी व अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण एवं प्र0नि0 के. के. गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/ अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर सन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनों की चेकिंग की जा रही थी जिसके क्रम में –

आज दिनांक 03.10.21 को उ0नि0 अमरनाथ यादव मय हमराह कां0 रामविशाल, कां0 अजय यादव , म0कां0 प्रिति सिंह, म0कां0 अल्का मिश्रा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण किसी काम से

करतालपुर तिराहे पर आये हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम करतालपुर तिराहे पर पहुँची तो मुखबिर द्वारा इशारा करके बताया गया कि टेम्पू के पास जो आदमी व औरत है वही है पुलिस टीम द्वारा अचानक टेम्पू के पास पहुँचकर खड़े आदमी व औरत को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम नन्दू नथा नियल सिंह पुत्र मुंशी व महिला ने सविता सिंह पत्नी नन्दू नथा नियल सिंह निवासीगण ग्राम उमरपुर थाना नोनहरा जिला गाजीपुर बताया। जिन्हें कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0 318/21 धारा 298.504.506 भादवि व 3/5(1) उ0प्र0 विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1. नन्दू नथा नियल सिंह पुत्र मुंशी,
2. सविता सिंह पत्नी नन्दू नथा नियल सिंह निवासीगण ग्राम उमरपुर थाना नोनहरा जिला गाजीपुर

बरामदगी का विवरण –

दो अदद धार्मिक पुस्तका

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –

1. उ0नि0 अमरनाथ यादव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान
2. कां0 अजय यादव ,
3. म0कां0 प्रिति सिंह,
4. म0कां0 अल्का मिश्रा , समस्त थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़